राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 378/2018

अपीलार्थी

गोपाल लाल अटल
मकान न. 1484, गंगापोल दरवाजा,
पुलिस चौकी के पास, रैगरों का
मोहल्ला
जयपुर , राजस्थान

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)
जन स्वास्थय एवं अभियांत्रिकी
विभाग, शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 13-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अनिल कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 11-7-17 से दिनांक 22-5-17 को संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय एवं मुख्य सर्तकता अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता-प्रशासन को जारी निर्देशों के क्रम में शिकायतकर्ता द्वारा उठाये आरोपो की जांच आदि के संबंध में 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर दिनांक 2-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया। निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 13-9-17 से बिन्दु संख्या 1 की सूचना संलग्न कर प्रेषित कर दी गई थी तथा बिन्दु संख्या 2 के संबंध में संसूचित कर दिया गया था कि चाही गई सूचना मुख्य अभियंता-प्रशासन से प्राप्त नहीं हुई है। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 13-11-17 से सूचना प्रेषित कर दी गई थी एवं अपीलार्थी से पावती भी आयोग को प्रेषित अपीलोत्तर की छाया प्रति पर प्राप्त कर ली गई थी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 2-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त